न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 42/2023 (GCMS No. 2023/45) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. गोपाल पुत्र रामखिलाडी आयु 46 साल जाति जाटव
2. राजपाल पुत्र रामखिलाडी आयु 48 साल जाति जाटव

} निवासी ससेडी तहसील व जिला करौली (राज0)

.....अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली (राज0)।

.....रेस्पोडेंटस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर करौली दिनांक 30.08.2005 मुकदमा नम्बर 28/2003 उनवान राजस्थान सरकार बनाम रामखिलाडी वगै.।

उपस्थिति:–

1. अपीलांट की ओर से श्री विष्णुचन्द बंसल, वकील।
2. रेस्पोडेंट की ओर से नायब तहसीलदार करौली।

नि र्ण य

दिनांक : 15.07.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 30.08.2005 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के पिता रामखिलाडी का स्वर्गवास हो चुका है तथा रामखिलाडी व रामजीलाल तथा इनके पिता परसादी द्वारा अपने जीवन काल में उक्त आराजी को मेहनत व लाखो रूपये की लागत लगाकर काबिल काश्त बनाया है। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर गिरदावरी नहीं करने के कारण काश्त के इन्द्राज नहीं किये है। रामखिलाडी व रामजीलाल के मरने के उपरान्त अपीलान्ट रामखिलाडी के वारिस होने के कारण उक्त भूमि आरारजी खसरा नम्बर 726/3 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम ससेडी तहसील करौली आराजी को काश्त करते चले आ रहे है और काबिज काश्त है। अपीलान्ट जाति से जाटव है तथा अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा भूमिहीन है तथा अपीलान्ट के परिवार के भरण पोषण का जरिया उक्त आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.08.2005 निरस्त किये जाने योग्य है।
2. तहसीलदार करौली द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 14(4) के तहत अधीनस्थ न्यायालय में आवंटन आदेश दिनांक 20.10.1975 को निरस्त करने हेतु

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन आदेश को अपीलांट के पिता की गैर मौजूदगी में पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय आधार मानकर खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से पैरवी हेतु नायब तहसीलदार करौली हाजिर अदालत आये।
4. हमने उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी।
5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने दौराने बहस अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 पर दलील देते हुये कथन किया कि दिनांक 19.03.2023 को हल्का पटवारी से जमाबंदी लेने पर निर्णय दिनांक 30.08.2005 की जानकारी होने पर दिनांक 20.03.2023 को अपीलांट द्वारा नकल का प्रार्थना पत्र रिकार्ड रूम करौली में प्रस्तुत किया। दिनांक 20.03.2023 को नकल प्राप्त हुई। इससे पूर्व निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं रही। दिनांक 30.08.2023 तक का समय जानकारी अपीलांट के अभाव में माफ किये जाने योग्य है। जिसके लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जावे। इसके बाद कथन किया कि अपीलांट के पूर्व पुरूष को वर्ष 1975 में खसरा नम्बर 726/3 रकवा 5 बीघा जमीन का आवंटन हुआ था। आवंटन के बाद आवंटी गैर खातेदार जमाबंदी मेंदर्ज हो गया। आवंटी की मृत्यु के बाद उनके वारिसों के नाम जमाबंदी में अंकन होकर खातेदारी दर्ज हो गई। अपीलांट के पिता रामखिलाडी का स्वर्गवास हो चुका है तथा रामखिलाडी व रामजीलाल तथा इनके पिता परसादी द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त आराजी को जिस्मानी मेहनत से लागत लगाकर काबिल काश्त बनाया और भूमि को काश्त किया है। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर गिरदावरी नहीं करने के कारण काश्त करने के इन्द्राज नहीं किये गये। रामखिलाडी व रामजीलाल के मरने के उपरान्त अपीलांट रामखिलाडी के वारिस होने के कारण उक्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 726/3 रकवा 5 बीघा वांके ग्राम ससेडी तहसील करौली को काश्त करते चले आ रहे हैं और काबिज काश्त हैं। अपीलांट जाति से जाटव हैं तथा अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा भूमिहीन है। अपीलांट के भरण पोषण का जरिया उक्त आराजी ही है। अपीलांट के पिता के वकील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दौराने बहस व जबाब में भूमि का मौका निरीक्षण करने का निवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट अपीलांट के पिता की मौजूदगी में नहीं कर एवं पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट को एकपक्षीय आधार मानकर जैर अपील आदेश पारित कर दिया। विवादित आराजी पर काश्त हो रही है। उक्त आराजी पथरीली होने के कारण वर्षात के हिसाब से ही फसल काश्त होती है। जमीन आवंटन के बाद से ही लगातार अपीलांट के पूर्व पुरूष एवं वर्तमान में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपीलान्ट्स द्वारा काश्त की जा रही है। पटवारी और गिरदावर द्वारा गिरदावरी मौके पर न जाकर घर बैठे ही करने के कारण जमाबंदी में फसल का इन्द्राज नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.08.2005 निरस्त किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 20.10.1975 को बहाल किया जावे।

6. नायब तहसीलदार द्वारा सरकार की ओर से दौराने बहस दलील दी कि रेस्पो. का मौके पर कब्जा नहीं है। आवंटन के बाद से कभी भी उक्त आराजी पर काश्त नहीं की गई। नियमानुसार आवंटन के प्रथम वर्ष में 1/2 भाग पर एवं उसके बाद सम्पूर्ण भाग पर काश्त किया जाना आवश्यक है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई। प्रतिवर्ष गिरदावरी में उक्त आराजी बंजड दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज की जावे।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांटस द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के समय–समय पर पारित निर्णयों में म्याद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया गया है ताकि मामलों में उभयपक्ष की उचित सुनवाई होकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।
8. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि " अप्रार्थी द्वारा मुताबिक नकल खसरा गिरदावरी जो तहसील कार्यालय से तलब की गई है, के अनुसार सम्वत 2036 से 2055 तक अप्रार्थीयान द्वारा आवंटित भूमि को काश्त न कर आवंटन नियमों का उल्लंघन किया है। अप्रार्थीयान की ओर से अपने बचाव पक्ष में कोई सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे यह माना जा सके कि अप्रार्थीयान द्वारा आवंटित भूमि को आवंटन के पश्चात प्रथम वर्ष में 1/2 भूमि एवं दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि को काश्त करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।"
9. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम ससेडी तहसील करौली के खसरा नं0 726/3 रकबा 5 बीघा दिनांक 20.10.1975 को अपीलान्ट के पिता रामखिलाडी को आवंटन हुआ था। उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध तहसीलदार करौली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन अधिनियम 1970 की धारा 14(4) के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

तहत प्रस्तुत किया। किन्तु उक्त भूमि आवंटन आदेश की कोई प्रति पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की गई। मौका रिपोर्ट दिनांक 06.09.2002 को प्रस्तुत की गई, जिस पर केवल एक मात्र पटवारी के हस्ताक्षर मौजूद है जबकि मौका रिपोर्ट के लिए यह आवश्यक है कि लिखित में पक्षकारान को सूचित किया जावे तथा पक्षकारान के साथ स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद इस प्रकार की मौका रिपोर्ट विधिक रूप से मान्य नहीं है।

10. जहां तक भूमि पर काश्त करने का प्रश्न है, वर्तमान में वर्ष 1999 से राजस्थान भूमि आवंटन अधिनियम 1970 की धारा 14(3) के प्रावधान को समाप्त कर दिया है कि प्रथम वर्ष में 1/2 भूमि व दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि को काश्त करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रावधान पर गौर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद जमाबंदी संवत 2036 से 2055 तक एवं वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2078 में अपीलान्ट निरन्तर गैर खातेदार दर्ज चला आ रहा है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अपीलान्ट राजस्व रिकार्ड में बदस्तूर इन्द्राज है जो जमाबन्दी सम्वत 2078 की प्रति से स्पष्ट है। इसके अलावा मौका रिपोर्ट भी नियमानुसार नहीं है चूंकि मौका रिपोर्ट पर संबधित अथवा स्वतन्त्रगवाहों के हस्ताक्षर या आस पास के काश्तकारों के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। केवल पटवारी हल्का के हस्ताक्षर है जो एकपक्षीय साफ जाहिर है ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट दिनांक 6.9.2002 की प्रमाणिकता पर सवाल उठना लाजिमी है। इसके अलावा दिनांक 20.10.1975 करीब 49 साल पुराने अपीलान्ट के पिता को हुये आवंटन को इस प्रकार बिना किसी ठोस आधार अथवा पटवारी हल्का की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर निरस्त किया जाना उचित नहीं रहता है। लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य ही रहती है।

12. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.08.2005 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह वर्तमान रिकार्ड एवं प्रचलित नियमों के तहत पुनः परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

13. निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/7/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर